अनुसूचि 14 फार्म सं0–102

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

मैसा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–चम्पा पहाड

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 52/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
19.8.19	अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 374/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा– चम्पा पहाड के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– चम्पा पहाड में दिनांक 26.07.2019 को श्री जोसेफ मालतो के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मैसा पहाडिया, पिता–स्व0 चमरा पहाडिया, ग्राम– चम्पा पहाड, को मौजा– चम्पा पहाड में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री मैया पहाडिया पे0–स्व0 चमरा पहाडिया ग्राम चम्पा पहाड के जमाबंदी न0 01 के खतियानी रैयत कालु पहाडिया प्रधान के पोता है। ग्राम चम्पा पहाड के रैयतो ने ग्राम सभा द्वारा श्री मैसा पहाडिया को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। पूर्व में श्री मैसा पहाडिया चम्पा पहाड के कार्यवाहक प्रधान के रुप में कार्य करते आ रहे है तथा मालगुजारी समय पर देते आ रहे है। है। अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक मैसा पहाडिया को मौजा– चम्पा पहाड, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 426/ए0 दिनांक 21.8.19

Scanned with CamScanner